(2021) 14 एस.सी.आर 863

इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स लिमिटेड

बनाम

भारत संघ तथा अन्य इत्यादि

(सिविल अपील सं0 7576-7577 वर्ष 2021)

दिसम्बर 05.2021

(इन्दिरा बनर्जी एवं जे.के. माहेश्वरी न्यायमूर्तिगण)

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986- कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति - वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने वोकारो जिला मे इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति (ईसी) के दिये जाने हेतु पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन किया था- अपीलार्थी ने अपने आवेदन में कहाँ नाकि परियोजना में कोई वन भूमि अन्तबलित नहीं है- ईसी प्राप्त करने के बाद, अपीलार्थी ने वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापित करने सहमति (सीटीई) को दिये जाने हेतु जेएसपीसीबी को आवेदन किया था- जेएसपीसीबी ने इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिए अपीलार्थी की खीचाई अनुदत्त किया था- यद्यपि सीटीई अपीलार्थी को वोकारो जिला में इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिए दिया गया था, अपीलार्थी ने इसे अनुमति दिये गये स्थान से 5.3किमी दूर स्थापित किया था-सीटीई को समय समय पर बढाया गया था- फिर भी, जेएसपीसीबी ने इस आधार पर अपीलार्थी के ईसी को वापस लेने का आदेश जारी किया था कि अपीलार्थी ने वनभूमि का अतिक्रमण किया है तथा इसका स्थान बदला है इससे इसी के शर्तो का उल्लंघन होता है- अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल किया था जिसमें उच्च न्यायालय ने जेएसपीसीबी के आदेश के प्रवर्तन, क्रियान्वयन तथा निष्पादन को रोकते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था जिसे समय-समय पर बढाया गया था- इस बीच, अपीलार्थी ने कार्योत्तर अनापत्ति (एफसी) आवेदित किया था जिसका दावा उच्च न्यायालय के समक्ष भी किया गया था- फिर अंतिम सुनवाई के बाद ,उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती अंतरिम आदेशों को रोकने का आदेश पारित किया था- अपील पर अभिनिर्धारितः1986 अधिनियम कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति का निषेध नहीं करता है- कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को फिर भी नैत्यिक रीति से अनुदत्त नही किया जाना चाहिए, बल्कि सभी सुसंगत पर्यावरण संबंधी कारको को ध्यान में रखते हुए आपवादिक

परिस्थितियों में - कार्योत्तर अनुमोदन को केवल दण्ड कार्यवाही के रूप में रोका नही जाना चाहिए- वर्तमान तथ्यो में, इस्पात संयन्त्र ईसी या जेएसपीसीबी के सहमति के बिना आरम्भ नही हुआ था- अपीलार्थीने प्राख्यान किया था कि इस्पात संयन्त्र का कोई हिस्सा किसी वन में नही है जिसे एमओईएफ ने भी पुष्ट किया था - अपीलार्थी ने अपने अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्योत्तर वन अनापत्ति अनुमोदन हेतु सम्यक आवेदन किया था तथा तर्क कि इसका इस्पात संयन्त्र वन भूमि पर नही है - स्थापन जो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है तथा सैकड़ो लोगों को आजीविका उपलब्ध करा रहा है को पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना अपने स्थान के बदलने के तकनीकी अनियमितता हेतु बंद नही किया जाना चाहिए - जेएसपीसीबी को विधि के अनुसार संशोधित पर्यावरण संबंधी अनापत्ति हेतु अपीलार्थी के आवेदन पर कार्यवाही करने का निदेश दिया गया था - उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशों को निष्प्रभावी करने में त्रुटि किया था जो दो वर्षो तक प्रवर्तन में था।

अपीलो को अनुज्ञात करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः 1 प्रश्न यह है कि क्या स्थापन जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है तथा सैकड़ो लोगों को आजीविका उपलब्ध कराता है को अपेक्षित अनापत्ति तथा अनुमति प्राप्त करते हुए स्थापन को अपना प्रचालन नियमित करने का अवसर दिये बिना पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना इसके स्थान को बदलने के तकनीकी अनियमितता हेतु बन्द नही किया जाना चाहिए, यद्यपि स्थापन अन्यथा या प्रदूषण विधियों का उल्लंघन नहीं कर सकता है या प्रदूषण, यदि कोई है को सुविधाजनकपूर्वक तथा प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। उत्तर नकारात्मक में होना चाहिए। (पैरा 82) (885-डी-ई)

2. 1986 अधिनियम कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को निषिद्ध नही करता है। कुछ छूट तथा समुचित मामलो में विधि के अनुसार, नियमावली, विनियमाली अधिसूचना तथा/ या लागू आदेशो के कठोर अनुपालन में कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति का दिया जाना भी, जहाँ परियोजना अनुपालन में है या पर्यावरण नियमो के अनुपालन में किया जा सकता ह,ै हमारे विचार में अननुज्ञेय नही है। न्यायालय अर्थव्यवस्था या परियोजना में सैकड़ों कर्मचारियो या अन्य नियोजितो तथा परियोजना पर अन्य आश्रितो के आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता के संबंध में विस्मरणशील नही हो सकता है, यदि इस प्रकार की परियोजना पर्यावरण संबंधी नियमो के अनुसार है। (पैरा 84) 885जी.एच.; 886 ए.बी.)

3. कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को फिर भी नैत्यिक रीति से नही दिया जाना चाहिए, बल्कि सभी सुसंगत पर्यावरण संबंधी कारको को ध्यान में रखते हुए आपवादिक

परिस्थितियो में। जहाँ कार्योत्तर अनापत्ति का प्रति मूल परिणाम कार्योत्तर अनुमोदन को देते हुए उद्योग के प्रचालन के नियमतीकरण के परिणामो से अधिक महत्वपूर्ण होता है तथ उद्योग या संबंधित स्थापन अन्यथा अपेक्षित प्रदूषण नियमो के अनुरूप होता है, कार्योत्तर अनुमोदन को विधि के अनुसार, लागू नियमो, विनियमो तथा/या अधिसूचनाओ के सही मायने में अनुरूप दिया जाना चाहिए। कार्योत्तर अनुमोदन को केवल दण्ड कार्यवाही के रूप में रोका नही जाना चाहिए। विपथगामी उद्योग को ''प्रदूषक अदा'' करता है के सिंद्धांत पर भारी शास्ति के अधिरोपण द्वारा दण्डित किया जा सकता है तथा पर्यावरण के पुर्नस्थापन के खर्च को इससे वसूला जा सकता है। (पैरा 8) (89/जी.एच.,892ए.बी.)

4. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेशो को निष्प्रभावी करते हुए जो दो वर्षो तक प्रवर्तन में था आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि किया था। आक्षेपित आदेश अनुपातिकता के सिद्वांत के अनुरूप नही है। यह ऐसा मामला नही है जहाँ इस्पात संयन्त्र पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना या जेएसपीसीबी के सहमति से आरंभ किया गया था। अपीलार्थी ने मौजा दक्षिण पर्वतपुर में 135 एकड़ भूमि पर एकीकृत इस्पात संयन्त्र (3एमटीपीए) स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के लिए आवेदन किया था तथा प्राप्त किया था, जैसा ऊपर संप्रक्षित है। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति 21 फरवरी 2008 को दिया गया या तथा क्रियान्वित करने की सहमति जेएसपीसीबी द्वारा 5 मई 2008 को दिया गया था। आक्षेपित आदेश पारित करने में उच्च न्यायालय ने एकीकृत इस्पात संयन्त्र जहाँ 300 नियमित कार्ययल 700 ठेके पर कामगार थे के बंद होने के परिणामो की अनदेखी किया था। उच्च न्यायालय यह मूल्यांकन करने में भी असफल था कि अलेमविक फर्मासेटिकल्स में इस न्यायालय का निर्णय तथ्यो पर भिन्न था। इसके अलावा, औद्योगिक स्थापन के प्रवर्तन को अनुज्ञात करने वाले अंतरिम आदेशो का जारी रहना या औद्योगिक स्थापन को संशोधित ईसी का दिया जाना की सिद्धांत ''प्रदूषक अदा करता है'' पर शास्ति के अधिरोपण सहित उल्लंघनो के लिए उस स्थापन के विरूद्द कार्यवाही के राह में खड़ा नही हो सकता है। जेएसपीसीबी को तीन माह के अन्दर विधि के अनुसार संशोधित ईसी हेतु अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय लेने का निदेश दिया जाता है। (88,94,95,) (892बी.डी. 893ई-एफ, 894-ए)

भारतीय पर्यावरण- विधिक कार्यवाही परिषद तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1996) 3एससीसी 212 : (1996)2एससीआर 503 असेमविक फर्मासेटिकल्स लि0 बनाम रोहित प्रजापति तथा अन्य 2020 एससीसी अनालाईन, एससी 347, लाफार्ज मूनियम माइनिंग

प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2011) 7 एससीसी 338 : (2011) 7 एससीआर 954- निर्दिष्ट

निर्णयज विधि सन्दर्भ

(1996) 2एससीआर 503	निर्दिष्ट	पैरा 47
(2011) 7एससीआर 954	निर्दिष्ट	पैरा 85

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं0 7576-7577 वर्ष 2021

रि0या0 (सि0) सं0 4850 तथा 1873 वर्ष 2018 में झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची के निर्णय आदेश दिनांक 16.09.2020 से हरीश एन. साल्वे, कृष्णनन वेणू गोपाल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री सुमन यादव, सुश्री निखिता सूरी, ध्रुव नायर, कुणाल दत्त, निनद लौद, अनीश कपूर, सुश्री विजय लक्ष्मी मेनन, आइवोडी, कोष्टा, आदित्य प्रताप सिंह, अपीलार्थी के अधिवक्तागण

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, गुरमीत सिंह मक्केर शैलेष मडियाल, केवन पाल, सुश्री दिव्यांशि एच.राठी, राघवेन्द्र एस. श्रीवास्तव, रवि शंकर द्विवेदी, कुमार अनुराग सिंह श्वेतांक सिंह, सौरभ जैन, सुश्री तुलिका मुखर्जी, जैन ए. खाँन श्वेतांक सिंह सुश्री आस्था श्रेष्ठ, राजेश आर. दूबे, संतोष मिश्रा, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय इन्दिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति मंजूर की जाती है।

2. अपीलें प्रत्यर्थी झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एतस्मिन् पश्चात ''जेएसपीसीबी'' के रूप में निर्दिष्ट, जो दो वर्षो तक प्रवृत्त था के पर्यवेक्षणीय विनियामक नियंत्रण के अधीन अपने इकाई को चालू करने के लिए अपीलार्थी को अनुज्ञात करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्ववर्ती अंतरिम आदेशो को रोकते हुए रि0या0 (सि0) सं0 1873 वर्ष 2018 तथा रि0 या0 (सि0) 4850 वर्ष 2018 में झारखण्ड उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2020 के विरूद्ध है।

3. अपीलार्थी झारखण्ड में वोकारों जिला में 1.5 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयन्त्र का स्वामी है तथा चलाता है। वोकारो मेें उक्त इस्पात संयन्त्र जो 3000 नियमित कर्मचारियो तथा 7000 संविदा कर्मचारियों को नियोजित करता है ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू 4,200 करोड़ के इस्पात का उत्पादन किया था।

4. अपीलार्थी दावा करता है कि नियमित या संविदा कर्मचारियो के रूप में इस्पात संयन्त्र द्वारा वास्तव में नियोजित के अतिरिक्त लगभग 30,000 व्यक्ति अपने आजीविका के लिए इस्पात संयन्त्र पर निर्भर है।

5. कार्पोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शोधन अक्षमता तथा दिवाला संहिता 2016 के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्द आंरभ किया गया था। सफल समाधान के रूप मे आवेदक वेदांता लि0. ने अपने के ऋण को चुकता करने के लिए रू0 5,320 करोड़ के भुगतान के बाद 4 जून 2018 को या लगभग अपीलार्थी का कार्यभार सभाला था।

6. प्रदूषण तथा पर्यावरण का पारिगणामिक विकृति चितांजनक अनुपात ग्रहण किया है तथा सार्वजनिक चितां का कारण बन गया है। धुआँ धूम्र मोटर तथा मशीन के प्रयोग तथा मिलो, कारखानो तथा संयन्त्रो के संचालन द्वारा ग्रीन हाउस गैसो के उत्सर्जन से पर्यावरण संबधी अपकर्ष कारित होता है।

7. संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में पर्यावरण को बनाने तथा सुधारने तथा प्रदूषण रोकने के लिए चर्चा तथा विचार विमर्श किया गया है।

8. 1972 में, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टाकहोम मे पर्यावरण की रक्षा करने तथा सुधारने के लिए उपाय को कार्यान्वित करने के लिए बुलाई गई थी। विचार विमर्श के अनुक्रम में, यह महसूस किया गया कि पर्यावरण संबंधी प्रदूषण का सामना करने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता है। भारत ने सम्मेलन में भाग किया था तथा पर्यावरण संबंधी चितांओ को जोरदार तरीके से व्यक्त किया था।

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, एत्स्मिन् पश्चात ''1986 अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट को जून 1972 में स्टाकहोम में सम्पन्न मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर किये गये निर्णयो के परिणाम स्वरूप अधिनियमिति किया गया है।

10. 1986 अधिनियम के अधिनियमन हेतु उद्देश्यो तथा कारणो का विवरण घोषित करता है कि अधिनियम को पर्यावरण पर चिंता द्वारा सुझाया गया है जो साठ के दशक से पूरी दुनिया में बढ़ा है।

11. 1986 अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) केन्द्र सरकार को इस प्रकार के सभी कार्यवाहियो को करने के लिए सशक्त करता है जैसा यह पर्यावरण के गुणवत्ता को संरक्षित

करने तथा सुधारने एवं पर्यावरण संबंधी प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने तथा निवारण करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन समझता है।

12. 1986 अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) केन्द्र सरकार को अन्य बातो के साथ निम्न कार्यवाहियाँ करने के लिए सक्षम बनाता हैः-

(i) राज्य सरकारो, अधिकारियो तथा अन्य प्राधिकरणो द्वारा कार्यवाहियो का समन्वय-

(क) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमावली के अधीन या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जो इस अधिनियम के उद्देश्यो से संबंधनीय है।

(ii) पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निवारण हेतु राष्ट्र[a] व्यापी कार्यक्रम की योजना तथा निष्पादन

(iii) इसके विभिन्न पहलूओ में पर्यावरण के गुणवता हेतु मानदण्डो का निर्धारण

(iv) जो भी हो विभिन्न स्त्रोतो से पर्यावरण संबंधी प्रदूषको के उत्सर्जन तथा छोड़ने हेतु मानदण्डो का निर्धारण परन्तु उत्सर्जन या छोड़ने हेतु विभिन्न मानदण्डो के इस प्रकार के स्त्रोतो से पर्यावरण संबंधी प्रदूषको के उत्सर्जन या छोड़ने के गुणवत्ता या संयोजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्त्रोतो से इस खण्ड के अधीन अधिकथित किया जा सकता है।

(v) उन क्षेत्रो के बारे में निर्वन्धन जिसमें कोई उद्योग, प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योग, प्रचालन या प्रसंस्करण के श्रेणी को कार्यान्वित नही किया जायेगा या कतिपय सुरक्षोपायो के अधीन कार्यान्वित किया जायेगा।

(vi) दुघर्टनाओ के रोकथाम हेतु प्रक्रियाओ तथा सुरक्षोपायो का निर्धारण जो पर्यावरण संबंधी प्रदूषण कारित कर सकता सकता है तथा इस प्रकार के

दुघर्टनाओ के लिए उपचारात्मक कार्यवाहियाँ।

(vii) खतरनाक पदार्थों को निपटाने हेतु प्रक्रियाओ तथा सुरक्षोपायो का निर्धारण

(viii) इस प्रकार के विनिर्माण प्रसंस्करण, सामग्रीयो तथा पदार्थो का परीक्षण जिससे पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के कारित होने की संभावना है।

(ix) पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के समस्याओ से संबंधित अन्वेषणो तथा शोध का क्रियान्वयन तथा प्रायोजित करना

(x) किसी परिसर, संयन्त्र, उपकरण, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रसंस्करणो, सामग्रीयो या पदार्थो का निरीक्षण तथा इस प्रकार के पा्रधिकरणो, अधिकारियो या व्यक्तियो को इस प्रकार के निदेशो के आदेश द्वारा देना जैसा यह पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निवारण हेतु कदम उठाना आवश्यक समझता है।

(xi) इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के पर्यावरण संबंधी प्रयोगशालाओ तथा संस्थाओ को सौपे गये कार्यो को कार्यन्वित करने के लिए पर्यावरण संबंधी प्रयोगशालाओ तथा संस्थाओ की स्थापना या मान्यता

(xii) पर्यावरण संबंधी प्रदूषण से संबंधित मामलो के संबंध में सूचना का संग्रह तथा प्रचार प्रसार

(xiii) पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निवारण से संबंधित नियमावली, संहिता या संर्दिशका तैयार करना

(xiv) इस प्रकार के अन्य मामलो जैसा केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानो के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन समझता हैं।''

13. 1986 अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) निम्नवत उपबंध करता हैः

''केन्द्र सरकार, यदि सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनो हेतु ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के इस प्रकार के शक्तियों तथा कार्यो (धारा 5 के अधीन निदेशो को जारी करने के शक्ति सहित) का प्रयोग करने तथा करने के प्रयोजन हेतु तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट इस प्रकार के मामलो के संबंध में कार्यवाहियो को करने हेतु जैसा आदेश में उल्लिखित किया जा सकता है इस प्रकार के नाम या नामो जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय द्वारा प्राधिकरण या प्राधिकरणो का गठन कर सकता है तथा केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण तथा इस प्रकार के आदेश के प्रावधानो के अधीन इस प्रकार प्राधिकरण या प्राधिकरणों के इन शक्तियो का प्रयोग कर सकता है या कार्यो को कर सकता है या कार्यवाहियाँ कर सकता है जैसा आदेश मे उल्खिलित है मानो इस प्रकार के प्राधिकरण का प्राधिकरणो को इन शक्तियो का प्रयोग करने या इन कार्याे को करने या इस प्रकार के कार्यवाहियो को करने के लिए इस अधिनियम द्वारा सशक्त किया गया था।''

14. 1986 अधिनियम के प्रावधानो के अधीन, केन्द्र सरकार के पास धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार के सभी कार्यवाहियो को करने की शक्ति है जैसा यह पर्यावरण के

गुणवत्ता की रक्षा करने तथा सुधारने तथा पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निवारण के प्रयोजन हेतु आवश्यक तथा समीचीन समझता है।

15. 1986 अधिनियम की धारा 5 उपबंध करता है कि किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लेकिन 1986 अधिनियम के प्रावधानों के अधीन केन्द्र सरकार 1986 अधिनियम के अन्तर्गत अपने शक्तियो के प्रयोग तथा अपने कार्यो को करने में किसी व्यक्ति अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित निदेशो को जारी कर सकता है तथा इस प्रकार का शक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण इस प्रकार के निदेशो का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा

16. 1986 अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (5) तथा उपधारा (1) सपठित पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 के नियम 5(3) (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मेंे केन्द्र सरकार ने यह निदेश देते हुए पर्यावरण संबंधी समाघात मूल्यांकन अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 1994 को जारी किया था कि सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को तथा से किसी क्रियाकलाप के विस्तार तथा आधुनिकीकरण या अधिसूचना के अनुसूची 1 मे सूचीबद्ध नई परियोजनाओ को भारत के किसी भाग मे आरंभ नही किया जायेगा, जब तक इसे अधिसूचना मंे विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति (ईसी) न दिया गया हो।

17. उक्त अधिसूचना के खण्ड (2) (1) के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति जो अनुसूची 1 मे सूचीबद्ध किसी नये परियोजना को आरंभ करना चाहता है, द्वारा परियोजना रिपोर्ट पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार तैयार ईआईए (पर्यावरण समाघात मूल्यांकन) रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) शामिल होगा के साथ अनुसूची-II मे विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक दूसरा पर्यावरण संबंधी समाघात अधिसूचना को अन्य बातो के साथ परियोजना हेतु जिसने स्थान पर कार्य आरंभ कर दिया था निबंधनो तथा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को दिये जाने हेतु 2006 में जारी किया गया था।

18. परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के साथ प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट का मूल्यांकन तथा मूल्यनिर्धारण समाघात मूल्यांकन अभिकरण (आई.एस), जो पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय है द्वारा किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यक समझता है, यह अनुसूची प्प्प् में विहित रीति से गठित विशेषज्ञो की समिति से परामर्श ले सकता है। विशेषज्ञ समिति के पास स्थान के निरीक्षण तथा प्रवेश का पूरा अधिकार होगा। समाघात मूल्यांकन अभिकरण को परियोजना

प्रस्तावक द्वारा दिये गये, स्थानो में जाने के दौरान एकत्रित आकड़े द्वारा अनुपूरित, प्रभावित जनसंख्या तथा पर्यावरण संबंधी समूहो से बातचीत, यदि आवश्यक है, दस्तावेजो तथा आकड़ा के तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित सिफारिशो के सेट को तैयार करना पड़ता है। रिपोर्ट का सारांश, सिफारिशे तथा शर्तो, जिसके अधीन पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिया गया है जनहित के अधीन होगा, अनुरोध पर संबंधित पक्षकारो या पर्यावरण संबंधी समूहो को उपलब्ध कराया जायेगा। आई.एए इस प्रयोजन हेतु जन सुनवाई आयोजित करते हुए विनिर्दिष्ट अवधि में जन सामान्य से टिप्पणीयो की माँग कर सकता है। जन सामान्य को जनहित के अधीन ईआईए रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के सारांश तक पहुँच उपलब्ध कराया जायेगा। संयन्त्र के निर्माण या प्रचालन के आरंभ हेतु दी गई अनापत्ति पाँच वर्ष के लिए वैध होगी। पर्यावरण संबंधी समाघात मूल्यांकन अधिसूचना का खण्ड 4 पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के शर्तो के क्रियान्वयन के अनुश्रवण तथा/या आईएए द्वारा अधिकथित सिफारिशो तथा शर्तो का उपबंध करता है।

19. अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 1997 द्वारा उक्त पर्यावरण संबंधी समाघात मूल्यांकन अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 1994 मे◌े छोटा मोटा संशोधन किया गया था, जो जन सुनवाई हेतु विस्तृत प्रक्रिया विहित करता है।

20. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग प्प् धारा 3 ;पपद्ध दिनांक 12 अप्रैल 2001 मे प्रकाशित अधिसूचना एसओ 327 ई. दिनांक 10 अप्रैल 2001 द्वारा, केन्द्र सरकार ने 1986 अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्वयं में निहित व्यक्तियो को इस शर्त के अधीन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट सहित जैवचिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक समानो कारखानो, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट तथा म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट से संबंधित मानेदण्डो तथा नियमो के उल्लघंन के लिए किसी उद्योग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को निदेश जारी करने हेतु अपने-अपने राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड/समितियो के अध्यक्षो को प्रत्यायोजित किया है कि केन्द्र सरकार इस प्रकार के शक्तियो के प्रत्यायोजन को वापस ले सकता है या स्वंय उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानो का अवलंब ले सकता है, यदि केन्द्र सरकार के राय में इस प्रकार की कार्यवाही जनहित में आवश्यक है।

21. 8 जनवरी 2007 को या लगभग, अपीलार्थी ने वोकारो जिला के चंदन कियारी खण्ड के मौजा दक्षिण पर्वतपुर में 3 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिये जाने हेतु पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

भारत सरकार, एतस्मिनपश्चात ''एमओईएफ एवं सीसी'' के रूप में निर्दिष्ट को आवेदन किया था।

22. अपने आवेदन मे, अपीलार्थी ने कहा था कि वोकारो जिला के चंदन कियारी खण्ड के मौजा दक्षिण पर्वतपुर में उक्त संयन्त्र स्थापित करने के लिए 1350 एकड़ भूमि आवश्यक है तथा परियोजना में वन भूमि शामिल नही है।

23. पत्र सं0 एफ सं0 जे-11011/137/2006-1ए-II (i) दिनांक 21 फरवरी 2008 द्वारा, अपीलार्थी को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिया गया था। ईसी प्राप्त करने के बाद, अपीलार्थी ने वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, एतस्मिन पश्चात वायु प्रदूषण अधिनियम तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के रूप में निर्दिष्ट, एतस्मिन पश्चात जल प्रदूषण अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट के अधीन स्थापित करने की सहमति'' (सीटीई) दिये जाने हेतु जेएसपीसीवी को आवेदन किया था।

24. 5 मई 2008 को, जेएसपीसीबी ने वोकारो जिला के चंदन कियारी खण्ड के मौजा दक्षिण पर्वतपुर मे 3एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिए अपीलार्थी को सीटीई दिया था। सीटीई एमओईएफ एवं सीसी द्वारा दिये गये ईसी के आधार पर दिया गया था।

25. सीटीई समय समय पर 4 मई 2011 तक बढ़ाया गया था। यद्यपि सीटीई वोकारो जिला के चंदन कियारी खण्ड के मौजा दक्षिण पर्वतपुर में इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिए अपीलार्थी को दिया गया था, अपीलार्थी ने उस स्थान से 5.3 किमी. दूर वोकारो जिला में चस खण्ड मे मौजा भागबंध में इस्पात संयन्त्र स्थापित किया था जिसके लिए ईसी तथा सीटीई दिया गया था।

26. परिपत्र सं0 जे 11013/41/2006-1ए2(i) दिनांक 22 जनवरी 2010 पर्यावरण तथा वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था निम्नवत उपबंध करता हैः

> ''इस मंत्रालय के जानकारी में ऐसे दृष्टांत आए है जिसमे परियोजना प्रस्तावको ने उक्त परियोजना को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति देने के बाद या जन सुनवाई किये जाने बाद परियोजना स्थान बदला है। परियोजना प्रस्तावकगण पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के लिए विहित प्रक्रिया को नये सिरे से किये बिना इस प्रकार दिये गये पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की पुनः अभिपुष्टि करने के लिए इस मंत्रालय में आए है। मंत्रालय में मामले पर विचार किया गया है। परियोजना स्थान के बदलने के कारण

प्रभावित लोगो के परियोजना में बदलाव तथा अध्ययन क्षेत्र एवं समाघात क्षेत्र में बदलाव होगा। इस प्रकार पर्यावरण समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट तथा स्थान विशेष हेतु कराये गये जन सुनवाई को बदले स्थान हेतु वैध नही माना जा सकता है।

तदनुसार, यह तय किया गया है कि जन सुनवाई कराने के बाद परियोजना स्थान में बदलाव का नया प्रस्ताव माना जायेगा तथा ईआईए अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार नये सिरे से मूल्यांकन किया जायेगा परन्तु अपने अपने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को समाघात हो कि बदलाव इतना छोटा है जिससे विवरणो में सम्यक लेखबद्ध ईआईए/ईएमपी में कोई बदलाव नही हुआ है तथा क्रमशः श्रेणी 'ए'/श्रेणी 'बी' परियोजना हेतु परामर्श दाता (भार साधक)/एसईआईएए का पूर्वअनुमोदन नये सिरे से बदले स्थान हेतु जन सुनवाई न करवाने हेतु प्राप्त किया गया है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

27. संसूचना संदर्भ सं0 1142 दिनांक 4 मई 2010 द्वारा जिला डीएफओ (जिला वन अधिकारी) वोकारो ने जेएसपीसीबी से वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के उल्लंघन में वोकारो जिला के चस खण्ड के मौजा भागबंध में वन भूमि पर इसके एकीकृत इस्पात संयन्त्र को स्थापित करने के लिए अपीलार्थी के विरूद्द कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। डीएफओ, वोकारो ने जेएसपीसीबी को अपीलार्थी द्वारा अधिसूचित वन भूमि के 220.88 एकड़ के अतिक्रमण की रिपोर्ट किया था।

28. यह प्रतीत होता है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा विहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1955 के अधीन अपीलार्थी के अधिकारियो के विरूद्द मामले आरंभ किये गये थे जिसे झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25 जनवरी 2011 द्वारा अभिखंडित किया गया है।

29. 23 सितम्बर 2010 को या लगभग अपीलार्थी ने अपने 350 एम3 धमन भट्टी हेतु वायु प्रदूषण अधिनियम तथा जल प्रदूषण अधिनियम के अन्तर्गत चालू करने की सहमति (सीटीओ) हेतु आवेदन किया था। बाद में 9 सितम्बर 2011 को, अपीलार्थी ने अपने सम्पूर्ण संयन्त्र के संबंध मंे सीटीओ हेतु आवेदन किया था।

30. अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 2 दिसम्बर 2011 द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पुष्टि किया था कि अपीलार्थी के 3 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयन्त्र का नक्शा

भली भाँति पर्यावरण समाघात क्षेत्र में है तथा यह कि प्रभावित लोगो के पास जन सुनवाई में भाग लेने का अवसर था।

31. पत्र दिनांक 18 मई 2012 द्वारा, जेएसपीसीबी ने वन पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में अपीलार्थी द्वारा अभिकथित उल्लंघन की जानकारी एमओईएफ एवं सीसी नई दिल्ली को दिया गया था। एमओईएफ एवं सीसी को एमओईसी एवं सीसी द्वारा दिये गये पर्यावरण अनापत्ति के शर्तो के उल्लघंन में वोकारो जिला के चंदन कियारी खण्ड के मौजा दक्षिण पर्वतपुर से वोकारो जिला के चस खण्ड के मौजा भागबंध में एकीकृत इस्पात संयन्त्र के अनधिकृत बदले जाने की जानकारी दी गई थी

32. जेएसपीसीबी के रिपोर्ट के अनुसरण में, एमओईएफ एवं सीसी ने 1986 अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 6 जून 2012 जारी किया था। अपीलार्थी ने 20 जून 2012 को कारण बताओ नोटिस के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत किया था।

33. 10 सितम्बर 2012 को, अपीलार्थी ने एक बार पुनः जल प्रदूषण अधिनियम तथा वायु प्रदूषण अधिनियम के अधीन एक वर्ष के लिए सीटीओ हेतु जेएसपीसीबी को आवेदन किया था। अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी को जारी कारण बताओ नोटिस के परिणाम के बारे में जेएसपीसीबी को सूचित करने के लिए एमओईएफ एवं सीसी से अनुरोध करते हुए एमओईएफ एवं सीसी को कई अनुस्मारको को भेजा गया था। फिर भी, जेएसपीसीबी को एमओईएफ एवं सीसी के निर्णय के बारे में सुचित नही किया गया है।

34. अपीलार्थी ने स्वयं को सीटीओ देने हेतु जेएसपीसीबी पर आदेशो के लिए झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका रि0या0 2247/2012 दाखिल किया था। उक्त रिट याचिका को आदेश दिनांक 5 नवम्बर 2012 द्वारा निपटाया गया था, जिसके प्रवर्तन शील भाग को एतस्मिन नीचे निर्दिष्ट किया जाता हैः-

> ‘‘याची के आवेदन पर विचार करने के लिए तथा जैसा इन लोगो द्वारा आश्वस्त किया गया है, यदि अपेक्षित हो प्रत्यर्थी 1 तथा 2 याचीगण को सुनवाई का अवसर देगा तथा विधि के तथ्यो तथा प्रावधानो एवं संबंधित निर्णयो को ध्यान में रखने के बाद इस आदेश के प्रति के प्राप्त करने/पेश करने की तिथि से पाँच सप्ताह के अन्दर याची के आवेदन को निपटायेगा’’।

35. 27 नवम्बर 2013 को या लगभग, सीटीओ हेतु अपीलार्थी के आवेदन को इस आधार पर नामंजूर किया गया था कि अपीलार्थी ने अपने इस्पात संयन्त्र का स्थान बदल लिया था तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन मे वन भूमि का अतिक्रमण किया था। आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2013 का प्रवर्तनशील भाग पठित हैः-

> "इस प्रक्रम पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.06.2012 के संबंध मे एमओईएफ एवं सीसी के निर्णय के अंतिम परिणाम के अधीन, हम पूर्वोक्त कारण हेतु इकाई को सीटीओ इंकार करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के अधीन तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25(4) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग मे सीटीओ हेतु आवेदन को निपटाते है।"

36. अपीलार्थी ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट या0 (सि0) 2274 वर्ष 2012 में अवमानना अवमानना मामला (सी) सं0 939 वर्ष 2013 हेतु आवेदन दाखिल किया था। अवमानना याचिका के आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2013 के अनुसरण में, जेसएसपीसीबी ने अपीलार्थी को सीटीओ के दिये जाने हेतु आवेदन को निपटाया था।

37. पत्र दिनांक 17 अप्रैल 2013 द्वारा, एमओईएफ एवं सीसी ने अपीलार्थी ने अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किये गये वन भूमि के संबंध में झारखण्ड राज्य से प्रास्थिति रिपोर्ट मागाँ था। वन विभाग ने 13 मई 2014 को एमओईएफ एवं सीसी से रिपोर्ट प्रस्तुत किया था।

38. तत्पश्चात, पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2014 द्वारा, एमओईएफ एवं सीसी नईदिल्ली ने भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु अपीलार्थी के विरूर्ध कार्यवाही करने के लिए वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को निदेश दिया था। पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, जेएसपीसीबी ने अपीलार्थी को वायुप्रदूषण अधिनियम की धारा 31(क) तथा जल प्रदुषण अधिनियम 33 (क) के अधीन अपने संयन्त्र बंद करने का निदेश दिया था

39. मेमों सं 521 दिनांक 6 फरवरी 2015 द्वारा वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग,झारखण्ड सरकार ने डीजीपी, झारखण्ड राँची तथा उपायुक्त वोकारो को एमओईएफ एवं सीसी , भारत सरकार के पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2014 के आलोक में अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा किये गये कार्यवाही रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का निदेश दिया था।

40. जेएसपीसीबी के पूर्वाक्त आदेश को चुनौती अपीलार्थी द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका रि0या0 (सी) संख्या 2033 वर्ष 2015 दाखिल करते हुए दी गई थी। आदेश दिनांक 5 फरवरी 2016 द्वारा उच्च न्यायालय ने यह धारित करते हुए जेएसपीसीबी के आदेश को अपास्त किया था कि इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के उल्लंघन में पारित किया गया था। फिर भी उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जेएसपीसीबी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

41. तत्पश्चात, अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 अप्रैल 2016 जारी किया गया था। अपीलार्थी ने यह तर्क देते हुए 28 सितम्बर 2016 को कारणबताओ नोटिस का जवाब दिया था कि अपीलार्थी ने अपना संयन्त्र वन भूमि पर स्थापित नही किया था तथा यह कि सभी प्रदूषण नियंत्रण उपायो को किया गया था। फिर भी, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) झारखण्ड ने संसूचना सं0 2966 दिनांक 8 अगस्त 2016 द्वारा जेएसपीसीबी को सूचित किया था कि अपीलार्थी ने वन भूमि का अतिक्रमण किया था। तत्पश्चात जेएसपीसीबी ने एक बार पुनः पीसीसी एवं झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आलोक में अपीलार्थी को कारण बताने के लिए आहुत किया था। अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 28 सितम्बर 2016 द्वारा दोहराया था कि संयन्त्र परिसर में वन भूमि नही है।

42. जेएसपीसीबी ने झारखण्ड उच्च न्यायालय के निदेश दिनांक 5 फरवरी 2016 के आलोक में कारण बताओ नोटिस तथा सीटीओ आवेदनो को निपटाते हुए आदेश सं0 बी-319 दिनांक 13 फरवरी 2017 को पारित किया था।

43. एमओइएफ एवं सीसी तथा राज्य पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिकारीगण इस बीच परियोजना जो स्थान पर काम करना आरंभ हो गया था हेतु संदर्भ के निबंधनो तथा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिये जाने हेतु पर्यावरण समाघात मूल्याकंन अधिसूचना 2006 के अधीन प्रस्तावों को प्राप्त कर रहे थे, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की सीमा के परे उत्पादन का विस्तार किया था या पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त किया बिना उत्पाद मिश्रण को बदल दिया था।

44. एमओइएफ एवं सीसी के यह आवश्यक समझा था कि सभी इकाईयाँ जो पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत पर्यावरण सम्बन्धी विनियमों का अनुपालन नही कर रही है को पर्यावरण के गुणवत्ता को सुधारने तथा संरक्षित करने तथा

पर्यावरण संबंधी प्रदुषण को कम करने के प्रयोजन हेतु समीचीन तरीके से पर्यावरण संबंधी विधियों का अनुपालन करने के लिए लाया जाय।

45. एमओइएफ एवं सीसी ने इन्हे अविनियमित तथा बिना जाँच के छोड़ने के बजाय जो पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक होगा,सबसे पहले पर्यावरण सम्बन्धी विधियों के अनुपालन में इस प्रकार के परियोजनाओं तथा क्रियाकलापों को लाना आवश्यक समझा था।

46. इस उद्देश्य को के अग्रसर करने में, भारत सरकार ने नियमो के उल्लंघन के मामलों के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया को स्थापित करना तथा इस प्रकार के पर्याप्त पर्यावरण संबंधी सुरक्षोपायो को विहित करना आवश्यक समझा था जो पर्यावरण समाघात मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के प्रावधानो के उल्लंघन को रोकेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण के क्षति की क्षतिपूर्ति पर्याप्त तरीके से की जाय।

47. **भारतीय पर्यावरण-** विधिक कार्यवाही परिषद तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1996)3 एस सीसी 212 में, उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी विधियो के सुसंगत प्रावधानों का विश्लेषण किया था तथा निष्कर्ष निकाला था कि क्षतियों को अन्य बातों के साथ कार्यवाहियों को क्रियान्वित करने के लिए 1986 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूल किया जा सकता हैं जो पर्यावरण की रक्षा करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक या समीचीन है। इस न्यायालय ने पुष्ट किया था कि 1986 अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार की शक्ति व्यापक है तथा इसमे क्रियाकलाप को रोकने, उद्योग को बंद करने, उपचारात्मक कार्यवाहियों को कार्यान्वित करने का निदेश देने तथा जहाँ भी आवश्यक हो उल्लंघन करने वाले उद्योग पर उपचारात्मक कार्यवाहियो का खर्च अधिरोपित करने की शक्ति शामिल है। उपचारात्मक कार्यवाहियों के खर्चो को चुकाने के लिए प्रत्यर्थीगण के दायित्वके प्रश्न की भी जाँच सिद्धान्त "प्रदूषण करने वाला अदा करता है" से की जा सकती है।

48. 1986 अधिनियम की धारा 3(1) तथा 3(2) (5) सपठित पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5(3) (घ) के अधीन शक्ति के प्रयोग में, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना एस.ओ 804 (ई) दिनांक 14 मार्च 2017 जारी किया है जो परियोजना प्रस्तावको के लिए कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिये जाने का उपबंध करता है जिन्होने 1986 अधिनियम के अधीन पर्यावरण संबंधी अनापत्ति या इसके अन्तर्गत जारी अधिसूचना ईआईए को प्राप्त किये बिना परियोजना चालू किया है, जारी है या पूरा किया है।

49. उक्त अधिसूचना के पैरा 3, 4 तथा 5 निम्नवत पठित हैः-

"(3) उल्लंघन के मामलो में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के प्रावधानो के अन्तर्गत अपने राज्य या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावको के विरूद्द कार्यवाही की जायेगी तथा आगे, परियोजना को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिये जाने तक चालू करने की सहमति या अधिभोग प्रमाणपत्र जारी नही किया जायेगा।

(4) उल्लंघन के मामलो का मूल्यांकन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गठित अपने अपने क्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियो द्वारा यह मूल्यांकन करने के विचार से किया जायेगा कि परियोजना का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जो विद्यमान विधियो के अन्तर्गत अनुज्ञेय है तथा विस्तार किया गया है जिसे पर्याप्त पर्यावरण संबंधी सुरक्षो पायो के साथ पर्यावरण संबंधी नियमो के अनुपालन में स्थायी रूप से संचालित किया जा सकता है तथा यदि जहाँ विशेष मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष नकारात्मक होता है, परियोजना के बंद किये जाने की सिफारिश विधि के अधीन अन्य कार्यवाहियो के साथ की जायेगी।

(5) यदि,जहाँ ऊपर उप पैरा (4) पर बिन्दु पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष सकारात्मक होता है, इस श्रेणी के अन्तर्गत परियोजना पर्यावरण समाघात मूल्यांकन आंरभ करने तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना के तैयारी हेतु संदर्भ के समुचित निबंधनो को विहित करेगा। आगे, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पारिस्थितिकी क्षति के मूल्यांकन, उपचारात्मक योजना तथा नैसर्गिक तथा सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना पर परियोजना हेतु संदर्भ के विनिर्दिष्ट निबंधनो को विहित करेगा तथा इसे प्रत्यायित परामर्शदाताओ द्वारा पर्यावरण समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट में स्वतंत्र अध्याय के रूप में तैयार किया जायेगा। पारिस्थितिकी क्षति के मूल्यांकन हेतु आकड़ा का संग्रह तथा विश्लेषण, उपचारात्मक योजना की तैयारी तथा नैसर्गिक एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत सम्यक अधिसूचित पर्यावरण संबंधी प्रयोगशाला या परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओ हेतु राष्टीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित पर्यावरण संबंधी प्रयोगशाला या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध संस्थान परिषद के प्रयोगशाला द्वारा किया जायेगा।

50. 24 अगस्त 2017 को या लगभग, अपीलार्थी ने पाँच वर्षो के लिए सीटीओ हेतु आवेदन किया था। 13 नवम्बर 2017 को, जेएसपीसीबी ने अपीलार्थी को पहले दिये गये संचालित करने की सहमति (सीटीओ) के शर्तो के अभिकथित उल्लंघनो को बताते हुए अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अपीलार्थी को कारण बताने के लिए

आहुत किया गया था कि क्या, सीटीओ के शर्तो का उल्लंधन किया गया था जबकि पाँच वर्ष के लिए सीटीओ हेतु अपीलार्थी का आवेदन लंवित था।

51. 23 नवम्बर 2017 को, अपीलार्थी ने सीटीओ के शर्तो के अनुपालन को प्रर्दिशत करते हुए कारण बताओ नोटिस के संबंध में अपना आनलाइन जवाब प्रस्तुत किया था।

52. संसूचना सं. 2105 दिनांक 18 दिसम्बर 2017 द्वारा जेएसपीसीबी ने पर्वतपुर झारखण्ड मे एकीकृत संयन्त्र हेतु पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के देने हेतु शर्तो के अनुपालन के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को वापस लिये जाने हेतु 1986 अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अपीलार्थी को जारी कारण बताओ नोटिस पर निर्णय के बारे मे जेएसपीसीबी को सूचित करने के लिए एमओ ईएफ एवं सीसी से अनुरोध किया था।

53. अपीलार्थी को सीटीओ जारी करने/ नवीनीकरण हेतु जेएसपीसीबी के विॅफलता से व्यथित, 24 अगस्त 2017 को किये गये अपने आवेदन के अनुसरण में अपीलार्थी ने अपीलार्थी को सीटीओ जारी करने के लिए जेएसपीसीबी पर निदेशो की माँग करते हुए 12 अप्रैल 2018 को या लगभग झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका रि0या0 (सी) सं0 1873 वर्ष 2018 दाखिल किया था।

54. आदेश दिनांक 16 जुलाई 2018 को उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश में निर्धारित समय के अन्दर 24 अगस्त 2017 को अपीलार्थी द्वारा दाखिल सीटीओ के नवीनीकरण/ मंजूर करने के आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने हेतु जेएसपीसीबी को निदेश दिया था।

55. उच्च न्यायालय ने आगे यह निदेश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था कि अपीलार्थी को जेएसपीसीबी के पर्यवेक्षणीय तथा विनियामक नियंत्रण के अधीन अपने इकाई को चलाने की अनुमति दी जाय, जो प्रदूषण नियंत्रण विधियो के बारे में अपीलार्थी द्वारा पालन के संबंध में मियादी जाँच को पूरा कर सकता है।

56. जेएसपीसीबी ने अपीलार्थी को जारी कारण बताओ नोटिस पर एमओईएफ एवं सीसी के निर्णय के अधीन सीटीओ हेतु अपीलार्थी के अनुरोध के उस प्रक्रम पर नामंजूर करते हुए आदेश दिनांक 21 अगस्त 2018 पारित किया था। उक्त आदेश के प्रवर्तनशील भाग को एतस्मिन नीचे निर्दिष्ट किया जाता हैः-

"इस प्रक्रम पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.06.2012 के संबंध मे एमओईएफ एवं सीसी नई दिल्ली के निर्णय के अंतिम परिणाम के अधीन, हम पूर्वोक्त कारण हेतु इकाई को सीटीओ इंकार करते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा

21(4) के अधीन तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25(40) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में सीटीओ हेतु आवेदन को निपटाते है।"

57. तत्पश्पात अपीलार्थी रिट याचिका सं0 1873 वर्ष 2018 के संशोधन हेतु अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय गया था। आदेश दिनांक 25 अगस्त 2018 द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के संशोधन हेतु आवेदन अनुज्ञात किया था तथा प्रत्यर्थी को संशोधित रिट याचिका के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने आगे निदेश दिया थाः-

> "10 जहाँ तक अंतरिम अनुतोष का संबंध है, यह न्यायालय पाता है कि प्रत्यर्थी-झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 अंतिम निर्णय पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित प्रतीत होता है जिसे अभी काफी पहले 2012 में याची को जारी कारण बताओ पर पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लेना है। भारत संघ की ओर से उपस्थित होते हुए अधिवक्ता द्वारा किये गये निवेदन के अनुसार, ये लोग अविलंब याची को सुनने के बाद मामले में अंतिम निर्णय लेने जा रहे है। तदनुसार झारखण्ड राज्य प्रदूंषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 के प्रवर्तन, क्रियान्वयन तथा निष्पादन को 27.09.2018 तक एतदद्वारा रोका जाता है तथा अतंरिम आदेश दिनांक 16.07.2018 को एतदद्वारा 27.09.2018 तक बढ़ाया जाता है।
>
> 11. जहाँ तक पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्णय का संबंध है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची की इकाई इकाई चला रही है तथा बड़ी संख्या मे कर्मचारीगण याची के इस इकाई में काम कर रहे है, यह न्यायालय उचित समझता है कि याची के पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के संबंध में विवाद्यक को यथाशीघ्र विनिश्चित किया जाना चाहिए।
>
> 12. आगे यह संप्रेक्षित किया जाता है कि याची अपने अधिकारो, (अधिकार हक, हित, कब्जा तथा याची के सम्पत्ति के प्रकृति सहित) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभिकथित उल्लंघन के नियमितीकरण हेतु अपने प्रस्ताव/आवेदन के साथ भारत संघ के पास जाने तथा स्वंय को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.06.2012 के अनुसरण मे भारत संघ के प्रत्यर्थी प्राधिकारी के समक्ष निवेदनो को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है तथा समुचित प्राधिकारी, यदि संभव है, साथ-साथ याची के कारण बताओ जवाब के साथ नियमितीकरण हेतु याची के पूर्वोक्त आवेदन पर विचार कर

सकता है जिससे सम्पूर्ण विवाद तय हो तथा याची को अपने इकाई के नियति के बारे में स्पष्टता हो। निर्णय जिसे भारत संघ द्वारा लिया जाना है अधिक से अधिक 25.09.2018 तक अनुपूरक शपथपत्र दाखिल करते हुए दोनो पक्षकारो द्वारा अभिलेख पर लाया जाय।

13. आईए सं0 7610 वर्ष 2018 तथा आई.ए. सं0 7613 वर्ष 2018 को एतद् द्वारा निपटाया जाता है।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याची के दावा के गुणावगुण की जाँच नही किया है तथा प्रत्यर्थी सं0 3 विधि के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।''

58. पूर्वोक्त आदेश दिनांक 25 अगस्त 2018 द्वारा, उच्च न्यायालय ने एमओईएफ को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति हेतु अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय तथा संयन्त्र के स्थान को बदलते हुए वन भूमि पर अतिक्रमण द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के प्रावधानो के बारे में अपीलार्थी द्वारा उल्लंघन के संबंध में निर्णय लेने का निदेश दिया था।

59. 31 अगस्त 2018 को एमओईएफ एवं सीसी ने अपने संयन्त्र के स्थान को बदलते हुए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के प्रावधानो के उल्ल्ंघन तथा वन भूमि पर अतिक्रमण करने हेतु अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस सं0 एफ सं0 जे- 11011/137/2006-1ए भाग-II(i) दिनांक 31 अगस्त 2018 जारी किया था।

60. प्रत्यर्थी सं0 1 को सितम्बर 2018 को व्यक्तिगत सुने जाने का अवसर दिया गया था। 12 सितम्बर 2018 को श्री ज्ञानेश भारती जिसने व्यक्तिगत सुनवाई की अध्यक्षता किया था का स्थानान्तरण एमओइएफ एवं सीसी से किया गया था।

61. 20 सितम्बर 2018 को प्रत्यर्थी सं0 1 ने इस आधार पर अपीलार्थी के पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को वापस लेते हुए आदेश सं0 एफ सं0 जे-11011/137/2006-ए ''जारी किया था कि अपीलार्थी ने 220 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण किया था तथा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति में निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करते हेतु अपने संयन्त्र के स्थान को पर्वतपुर से भागबंध स्थानान्तिरत किया था।

62. अपीलार्थी ने अपीलार्थी को दिये गये पर्यावरण संबंधी अनापत्ति का प्रतिसंहरण लेने को चुनौती देते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका रि0या0 (सी0) 4850 वर्ष 2018 दाखिल किया था।

63. 27 सितम्बर 2018 को उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2018 के प्रवर्तन, क्रियान्वयन तथा निष्पादन को रोकते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था। न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या पाया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के उल्लंघन मे पारित आक्षेपित आदेश का अपीलार्थी के इकाई पर गंभीर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था जो इकाई चला रहा था तथा अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव कारित हुआ था।

64. 4 अक्टूबर 2018 को, अपीलार्थी ने अपने अधिकारो तथा विवादो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्योत्तर वन अनापत्ति (एफसी) हेतु आवेदन किया था। 27 नवम्बर 2019 को अपीलार्थी ने अपने अधिकारो तथा विवादो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ''संशोधित'' पर्यावरण संबंधी अनापत्ति हेतु आवेदन किया था। इस बीच 27 सितम्बर 2018 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को समय समय पर विस्तारित किया गया था। इस प्रकार का विस्तार 10.10.2018, 05.11.2018, 11.12.2018,08.01.2019. 23.01.2019 16.05.2019. 25.07.2019 तथा 17.10.2019, को दिया था।

65. 17 सितम्बर 2019 को, एमओईएफ एवं सीसी ने तदनुसार अपीलार्थी के वन अपयोजन/अनापत्ति प्रस्ताव हेतु सिद्धाततः कार्योत्तर अनुमोदन आदेश पारित किया था।

> "उक्त आदेश का प्रवर्तनशील भाग पठित हैः- ''राज्य सरकार के प्रस्ताव के सावधानी पूर्वक जाँच के बाद तथा वन परामर्शदायी समिति के सिफारिशो तथा एमओईएफ एवं सीसी, नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन के आधार पर केन्द्र सरकार एतदद्वारा निम्न शर्तो को पूरा करने के अधीन झारखण्ड राज्य में मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स लिमिटेड के पक्ष में 184.23 हेक्टेयन वन भूमि (174.39 हेक्टेयर अतिक्रमण किया गया (कार्योत्तर) तथा 9.84 हेक्टेयर अकृष्ट भूमि के अपयोजन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अधीन कार्योत्तर सिद्धांततः अनुमोदन देता हैः-
>
> (i) अपयोजित वन भूमि की विधिक प्रस्थिति अपरिवर्तित रहेगीः-

66. आदेश दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा, झारखण्ड उच्च न्यायालय ने निदेश दिया था कि रि0या0 (सी) सं0 4850 वर्ष 2018 तथा रि0 या0 (सी) सं0 1873 वर्ष 2018 का लंबित होना पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के पुनः स्थापन के देने या नामंजूर करने के बारे में एमओईएफ एवं सीसी द्वारा विचार के मार्ग में नही आएगा तथा मंत्रालय विधि के अनुसार समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रवृत्त अंतरिम आदेशो को विस्तारित किया जाता है।

67. तत्पश्पात पत्र दिनांक 2 मार्च 2020 द्वारा, अपीलार्थी ने एमओईएफ एवं सीसी से संशोधित पर्यावरण संबंधी अनापत्ति हेतु अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया था। इस बीच, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशो को आगे विस्तारित किया गया था। अंतरिम आदेशो को 26.02.2020 07.04.2020 तथा 29.05.2020 को पारित आदेशो द्वारा विस्तारित किया गया था।

68. रिट याचिका 19 जून 2020 को सुनवाई हेतु माँगा गया था तत्पश्यात प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी का संशोधित पर्यावरण संबंधी अनापत्ति आवेदन गुणावगुण पर विचारार्थ विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष पेश किया जायेगा तथा उल्लंघन समिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के उल्लंघन हेतु अपीलार्थी के विरूद्द किये गये कार्यवाही पर विनिश्चय करेगा।

69. 6 अगस्त 2020 तथा 7 अगस्त 2020 को अपीलार्थी का मामला ईएसी के समक्ष इसके 35वे बैठक मे रखा गया था। अपीलार्थी को समिति के समक्ष आनलाइन अपना प्रस्ताव पेश करने के लिए आंमत्रित किया गया था।

70. विस्तृत विचार विमर्श के बाद, ईएसी ने गुणावगुण पर प्रस्ताव का मूल्यांकन किया था तथा पर्यावरण संबंधी समाघात मूल्यांकन (ईआईए) को आंरभ करने तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के तैयारी हेतु संदर्भ के विनिर्दिष्ट निबंधनो के साथ संदर्भ के मानक निबंधनो को जारी करने की सिफारिश किया था। ईएसी ने उल्लेख किया था कि संयन्त्र इकाई चला रहा है तथा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति संदर्भ के निबंधनो में अधिरोपित शर्तो के अधीन है।

71. 4 सितम्बर 2020 को, झारखण्ड उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण से जवाब की प्रतीक्षा करते हुए 8 सितम्बर 2020 तक अंतरिम आदेशो को विस्तारित किया था। 8 सितम्बर 2020 को उच्च न्यायालय ने 16 सितम्बर 2020 को अंतिम सुनवाई हेतु रिट याचिकाओ को सूचीबद्ध करते हुए अंतरिम आदेश दिनांक 16 जुलाई 2018 तथा 27 सितम्बर 2018 के विस्तार पर आदेशो को बाद में दिये जाने के लिए छोड़ा गया था।

72. 15 सितम्बर 2020 को, प्रत्यर्थी सं0 1 ने यह कहते हुए शपथ पत्र दाखिल किया था कि यह विचार करते हुए अंतरिम आदेशो के विस्तार के संबंध में कोई आपत्ति नही है कि इस्पात संयन्त्र में बड़ा कार्यबल नियोजित है। 16 सितम्बर 2020 को सुनवाई पर जेएसपीसीबी ने अंतरिम आदेश के विस्तार के संबंध में सहमति दिया था। फिर भी, उच्च

न्यायालय ने अन्य बातो के साथ निम्न आधारो पर पूर्ववर्ती अंतरिम आदेशो को रोकते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2021 पारित किया था।

(i) एमओईएफ एवं सीसी के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद पाया था कि अपीलार्थी ने ईआईए अधिसूचना 2006 तथा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के सामान्य शर्त सं0 दिनांक 21.02.2008 का उल्लंघन किया था।

(ii) एमओईएफ तथा सीसी ने पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को दिये जाने हेतु टीओसार जारी करते हुए विगत उल्लंघनो के लिए 1986 अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपीलार्थी के विरूद्द कार्यवाही की सिफारिश किया था। अंतरिम आदेशो का विस्तार कार्यवाही रोकने के तुल्य होगा।

(iii) अलेमविक फर्मासेटिकल्स लि0 बनाम रोहित प्रजापति तथा अन्य 2020 एससीसी आनलाइन एससी 347 में इस न्यायालय ने कार्योत्तर ईसीएस की निन्दा किया था लेकिन संविधान के अनुच्द्देद 142 के अधीन शक्तियो के प्रयोग में कतिपय निदेशो को जारी किया था।

73. कार्यालय ज्ञाप, एफ सं0 22.21/2020-1ए111, दिनांक 7 जुलाई 2021 द्वारा एमओईएफ एवं सीसी ने ईआईए अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत उल्लंघन मामलो के शिनाख्त तथा निपटाने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एओपी) जारी किया था।

74. उक्त कार्यालय ज्ञाप, अन्य बातो के साथ पठित हैः-

"मंत्रालय ने परियोजनाओ तथा क्रियाकलापो जिसने स्थान पर कार्य आरंभ कर दिया है या पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की सीमा के परे उत्पादन को बढ़ाया है या ईआईए अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त किये बिना उत्पाद मिश्रण को बदला है के संबंध में पर्यावरण संबंधी अनापत्ति एवं संदर्भ के निबंधनो के मंजूरी हेतु प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन करते हुए अधिसूचना सं0 एसओ 804 (ई) दिनांक 14 मार्च 2017 जारी किया था।

2. यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि अर्थात 14.03.2017 से 13.09.2017 तक 6 माह के लिए लागू थी तथा आगे 14.03.2018 से 13.04.2018 तक न्यायालय के निदेश पर आधारित था।

3. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दस्तक एन.जी.ओ बनाम साइनोकेय आर्गेनिक्स प्रा0 लि0 तथा अन्य के मामले मे मूल आवेदन सं0 287 वर्ष 2020 में तथा विनीत

नागर बनाम केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण तथा अन्य में मूल आवेदन सं0 298 वर्ष 2020 मंे एक ही विषयवस्तु से संबंधित आवेदनो में आदेश दिनांक 03.06.2021 द्वारा अभिनिर्धारित किया कि ''(.....) विगत के उल्लंघनो हेतु, संबंधित अधिकारीगण्ण सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदूषक अदा करता है सिद्धांत के अनुसार समुचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

4. आगे, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओ.ए सं0 34/2020 डब्लूजेड में तानाजी बी. गंभीरे बनाम, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार तथा अन्य के मामले में आदेश दिनांक 24.05.2021 द्वारा निदेश दिया है कि ''इस प्रकार के मामलो में पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को दिये जाने हेतु उचित मा0 परि0 प्रक्रि0 को अधिकथित किया जाय जिससे वाध्यकारी विधि में अंतराल को भरा जा सके तथा प्रक्रिया का सामान्यतया अनुसरण किया जाय। एमओईएफ इस प्रकार के एसओपी को देश में सभी एसईआईएए को परिचालित करने पर भी विचार कर सकता है।

5. इसलिए मा0 एनसीटी के निदेशो के अनुपालन में उल्लंघन के मामलो से निपटने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का तैयार किया जाना आवश्यक है। मंत्रालय ने भी उल्लंघन मामलो के कई श्रेणीयो को समझा है जो '' प्रदूषक अदा करता है सिद्धांत '' तथा 'अनुपातिकता के सिद्धांत' पर आधारित अनुमोदित संरचनात्मक/प्रक्रियात्मक ढांचो के अभाव में लंबित रहा है। यह निःसन्देह महत्वपूर्ण है कि कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही व्यतिक्रमियो/उल्लंघनकर्ताओ के विरूद्द की जाती है तथा परियोजना या क्रियाकलाप या अन्यथा के बंद किये जाने पर निर्णय शीघ्रता से लिया जाता है।

6. मा0 अधिकरण के उपरोक्त निदेशो की सूची में तथा अन्तबलित विवाद्यको, मंत्रालय में तदनुसार मामले पर विस्तार पूर्वक जाँच किया गया है। विस्तृत एसओपी तदनुसार विरचित किया गया है तथा इसमें रूप रेखा प्रस्तुत की गई है। एसओपी मा0 न्यायालयों के संप्रेक्षणो/निर्णयो द्वारा भी मार्गदर्शित है जिसमें अनुपातिकता तथा प्रदूषक अदा करता है के सिद्धातो की रूप रेखा प्रस्तुत की गई है।''

75. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जुलाई 2021 द्वारा प्रतिपादित मानक परिचालन प्रक्रिया अलेमविक फर्मासेटिकल्स (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय सहित विभिन्न न्यायिक निर्णयो को निर्दिष्ट करता है तथा कार्यान्वित करता है।

76. मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार, उल्लंघन के मामलो में पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के दिये जाने हेतु प्रस्ताव पर विचार गुणावगुण पर अनुपातिकता के सिद्धांतो तथा सिद्धांत कि प्रदूषक अदा करता है को लागू करते हुए भविष्य लक्षी किया जाना चाहिए तथा उपचारात्मक कार्यवाहियो के खर्चो हेतु दायी है।

77. फातिमा बनाम भारत संघ में रि0 या0 (एमडी) 11757 वर्ष 2021 में 15 जुलाई 2021 को पारित अंतरिम आदेश द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मानक प्रचालन प्रक्रिया के प्रवर्तन को रोक दिया है।

78. आदेश दिनांक 25 अगस्त 2021 द्वारा, एमओईएफ एवं सीसी ने अस्थायी रूप से अपीलार्थी के आवेदन को नामंजूर किया था। असल मे, आवेदन को प्रास्थगन में रखा गया है।

79. एमओईएफ ने स्पष्ट रूप से पर्यावरण संबंधी अनापत्ति हेतु अपीलार्थी के आवेदन पर किसी निर्णय को नही लिया था, चूकि इसके द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया को अलेमविक फर्मासेटिकल्स (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय को प्रोदधृत करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै पीठ के उक्त आदेश दिनांक 15 जुलाई 2021 द्वारा रोका गया है।

80. अपीलार्थी ने संशोधित पर्यावरण संबंधी अनापत्ति हेतु अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 5 अगस्त 2020 को तैयार करने के लिए प्रत्यर्थी सं0 1 पर निदेश की माँग करते हुए इस अपील में आवेदन आई.ए सं0 125221 वर्ष 2021 दाखिल किया है।

81. कोई संदेह नही हो सकता है कि पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के लिए शर्त के अनुपालन की आवश्यकता अपराक्रम्य है। एक परियोजना को अपेक्षित नियमो के अनुपालन के अधीन स्थापित किया जा सकता है या विस्तार करने की अनुमति दी जा सकती है। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति पर्यावरण संबंधी कोण से परियोजना को स्थापित करने के लिए स्थान के उपयुक्तता के शर्त तथा पर्यावरण संबंधी नियमो के अनुपालन हेतु आवश्यक आधार भूत संरचना सुविधाओ तथा साज सज्जा के होने पर दी जाती है। भावी पीढ़ीयो को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदूषण कानूनो को कड़ाई से लागू किया जाय। किसी भी परिस्थिति में उद्योग जो प्रदूषण कर सकते है को बिना जाँच के चालू रहने तथा पर्यावरण का अपकर्ष करने की अनुमति न दी जाय।

82. प्रश्न यह है कि क्या ऐसे स्थापन जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते है तथा सैकड़ो लोगो को आजीविका उपलब्ध कराते है को पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना,

अपेक्षित अनापत्ति तथा अनुमति प्राप्त करते हुए अपने प्रचालन को नियमित करने के लिए स्थापन को अवसर दिये बिना अपने स्थान के बदलने के तकनीकी अनियमितता हेतु बंद किया जाना चाहिए, यद्यपि स्थापन अन्यथा प्रदूषण विधियो का उल्लंघन करता नही हो सकता है या प्रदूषण, यदि कोई है, को सुविधाजनक तरीके से तथा प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। उत्तर नकारात्मक में होना चाहिए।

83. केन्द्र सरकार परियोजना आरंभ होने के पहले पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति हेतु निदेश सहित प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा/या रोकने के लिए निदेशो को जारी करने हेतु 1986 अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपने शक्तियो के व्याप्ति में भलीभाँति है। इस प्रकार केे पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को आवश्यक रूप से पर्यावरण पर परियोजना के प्रभाव की जाँच करने के बाद दिया जाता है। कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को सामान्यतया नही दिया जाना चाहिए तथा निश्चित रूप से माँगने पर नही। फिर भी कार्योत्तर अनापत्ति तथा/या अनुमोदन तथा/या 1986 अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओ के अनुसार तकनीकी अनियमितताओ को दूर करने से इस्पात संयन्त्र चलाने के प्रचालन को रोकने के परिणाम के बारे में विस्मरणशील पण्डिताऊ कठोरता के साथ इंकार नही किया जा सकता है।

84. 1986 अधिनियम कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति का निषेध नही करता है। समुचित मामलो में, जहाँ परियोजनाएँ पर्यावरण नियमो के अनुपालन में है या अनुपालन करने के लिए बनाया जा सकता है, नियमो, विनियमो अधिसुचनाओ तथा/या लागू आदेशो के कठोर अनुपालन में विधि के अनुसार कुछ छूट तथा कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति का दिया जाना भी विचार से इतर है अननुज्ञेय है। न्यायालय अर्थव्यवस्था या सैकड़ो कर्मचारियो तथा परियोजना मेे नियोजित अन्य लोगो तथा परियोजना पर आश्रित अन्य लोगो के आजीविका को बचाने की आवश्यकता के संबंध में विस्मरणशील नही हो सकता है, यदि इस प्रकार की परियोजनाएँ पर्यावरण संबंधी नियमो का अनुपालन करती है।

85. जैसा (2011) 7एससीसी338 में संप्रकाशित लफार्ज यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2011) 7एसीसी 338 (''लफार्ज'') मे इस न्यायालय के तीन जजो के पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया हैः

''119. पुर्नोवलोकन के विरोध में न्यायिक पुर्नोवलोकन के प्रक्रिया के रूप में पर्यावरण से संबंधित मामलो में संवैधानिक ''अनुपातिकता के सिद्धांत'' को लागू करने का समय हमारे लिये आ गया है। यह खण्डन नही किया जा सकता है कि पर्यावरण तथा इसके प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जो स्थायी विकास तथा अन्तर पीढ़ीगत

साम्या के सिद्धांतो से संगत हो, लेकिन इन साम्या को संतुलन के लिए नीतिगत विकल्प आवश्यक हो सकता है। इन परिस्थितियो में, अपवादो को छोड़कर, प्राकृतिक संसाधनो के उपयोग से संबंधित निर्णयो की जाँच न्यायिक पुर्नोवलोकन के सुमान्य सिद्धांतो के निहाई पर की जानी चाहिए। क्या सभी सुसंगत कारको को ध्यान में रखा गया है? क्या किसी बाहरी कारको ने निर्णय को प्रभावित किया है? क्या निर्णय विधि (यदि कोई है) जो क्षेत्र को शासित करता है के अधस्थ विधायी नीति के अनुसार सही मायने में है? क्या इस अभिप्राय में स्थायी विकास के सिद्धांतो से संगत निर्णय जिसे निर्णय करने वाले ने उक्त सिद्धांतो को ध्यान में रखा है तथा सुसंगत विचारो के आधार पर संतुलित निर्णय पर पहुँचा है? इस प्रकार न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया का पुर्नोवलोकन करना चाहिए कि एमओईएफ का निर्णय सही सिद्धांतो पर आधारित कि निष्पक्ष तथा पूर्णतया अनुप्राणित है तथा सभी पक्षपात या नियंत्रण से मुक्त है। एक बार इसे सुनिश्चित किया जाता है तव निर्णय करने वाले के पक्ष में ''मूल्यांकन के अंतर'' का सिद्धांत लागू होगा।''

86. अलेमविक फर्मासेटिकल्स (ऊपर) में इस न्यायालय ने संप्रेक्षित कियाः-

> ''27 कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की अवधारणा पर्यावरण संबंधी विधि शास्त्र के मौलिक सिद्धांतो के अल्पीकरण में है तथा ईआईए अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 1994 के लिए अभिशाप है। यह कामनकाज में निर्णय के रूप में है पर्यावरण को हानिकारक धारित करता है तथा इस कारण अपूरणीय अपकर्ष हो सकता है। कारण क्यो भूतलक्षी पर्यावरण संबंधी अनापत्ति या कार्योत्तर अनापत्ति पर्यावरण संबंधी विधि शास्त्र से भिन्न है यह है कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के जारी करने के पहले पर्यावरण पर प्रस्तावित क्रियाकलाप के संभाब्य परिणामो का अध्ययन करने के अलावा कानूनी अधिसूचना मेे मस्तिष्क का सावधानीपूर्वक प्रयोग आवश्यक है। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को निर्णय करने की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमो के पूरा होने के बाद जारी किया जा सकता है। शर्ते जैसे जन सुनवाई का किया जाना, जाँच, विस्तार तथा मूल्यांकन निर्णय करने की प्रक्रिया का घटक है जो सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक क्रियाकलाप के संभाब्य समाघात या विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप के विस्तार पर विचार निर्णय करने के कलन में किया जाता है। कार्योत्तर अनापत्ति के लिए अनुमति देना पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के दिये बिना औद्योगिक क्रियाकलापो के प्रचालन को आवश्यक रूप से माफ करेगा। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के अभाव में, ऐसी कोई शर्त नही होगी जो पर्यावरण की रक्षा करेगा। इसके अलावा,

यदि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को अंततोगत्वा इंकार किया जाना था, पर्यावरण को अपूरणीय हानि कारित हुई होती। मामले के दोनो विचारो में, पर्यावरण विधि कार्योत्तर अनापत्ति के विचार का अनुमोदन नही कर सकता है। यह एहतियाती सिद्धांत तथा स्थाई विकास हेतु आवश्यकता दोनो के विरूद्ध होगा।

87. अलेमविक फर्मासेटिकल्स (ऊपर) में इस न्यायालय ने कार्योत्तर अनापत्ति यो की निन्दा किया था, लेकिन इस न्यायालय ने इनके बंद किये जाने के परिणामो के बारे में विचार करने के बाद संबंधित तीनो उद्योगो को बंद किये जाने हेतु आदेशो को पारित नही किया था। यह न्यायालय यह संप्रेक्षित करने के लिए अग्रसर हुआ था तथा अभिनिर्धारित कियाः-

44. विंवाद्यक जिसे अब न्यायालय को चिंता होनी चाहिए परिणाम है जो अलेमविक फर्मासेटिकल्स लिमिटेड के मामले में 14 मई 2003, युनाइटेड फासफोरस लिमिटेड के मामले में 17 जुलाई 2003 तथा युनिक केमिकल्स लिमिटेड के मामले में 23 दिसम्बर 2002 तक तीनो उद्योगो को अपने पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को प्राप्त करने के विफलता से निकलेगा। वैद्य पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना सभी तीनो उद्योगो के कारखानो के काम करने का उस क्षेत्र में जहाँ यें स्थित है पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता पर प्रतिकूल समाघाव पड़ा रहा होगा। 2009-2010 के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी व्यापक पर्यावरण संबंधी प्रदूषण सूचकांक रिपोर्ट पूरे देश के 88 स्थानो पर पर्यावरण संबंधी गुणवत्ता का वर्णन करता है। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, जहाँ तीनो उद्योग स्थित है प्रदूषण के नाजुक स्तर को प्रदर्शित करता है। 2011 हेतु सेपी के अंतरिम मूल्यांकन में, रिपोर्ट अंकलेश्वर क्षेत्र में प्रदूषण के समान नाजुक आकड़े का संकेत देता है। 2013 तथा 2018 के लिए सेपी स्कोर भी काफी अधिक था। यह संकेत है कि औद्योगिक इकाईयाँ अविनियमित तरीके से तथा विधि के अवज्ञा मे कार्य कर रही है। औद्योगिक इकाईयो के संचालन द्वारा पारित कुछ पर्यावरण संबंधी क्षति अनुत्क्रमणीय होगा। फिर भी, संभव सीमा तक कुछ क्षति को पर्यावरण की रक्षा करने तथा संरक्षित करने के लिए उपायो को आरंभ करते हुए ठीक किया जा सकता है।

45. यद्यपि तीनो उद्योगो द्वारा पर्यावरण को कारित क्षति के सटीक विस्तार का अलग-अलग निर्धारण करना संभव नही है, प्रत्यास्थापन के समुचित उपाय का निर्धारण करने मे न्यायालय पर कई परिस्थतियो का प्रभाव पड़ना चाहिए। पहला, यह विवादित नही है कि सभी तीनो उद्योगो ने पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त किया था

यद्यपि यह ईआईए अधिसूचना 1994 तथा उत्पादन के आरंभ होने के कोई वर्ष बाद था। दूसरा, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के मंजूरी के बाद सभी तीनो उद्योगो के उत्पादक इकाईयो ने भी समय समय पर क्षमता के विस्तार हेतु पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त किया है। तीसरा, एमओईएफ ने 31 मार्च 1999 तक दाखिल किये जाने के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति हेतु आवेदनो को अनुमति देते हुए 5 नवम्बर 1998 को परिपत्र जारी किया था, जिसे तत्पश्चात 30 जून 2001 के लिए बढ़ाया गया था। 14 मई 2002 को, किये गये निवेश के अनुरूप जमा के अधीन समयसीमा को 31 मार्च 2003 तक बढ़ाया गया था। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय बढ़ाते हुए एमओईएफ द्वारा जारी परिपत्र गोवा फाउन्डेशन (1) भारत संघ मे इस न्यायालय के जानकारी में आया था। चैथा, यद्यपि मामले के तथ्यो के संदर्भ में, इस न्यायालय ने लफार्ज यूमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2011) 7एससीसी 338 (लफार्ज) में मेद्यालय राज्य मे चूना पत्थर खनन परियोजना के संबंध में कार्योत्तर अनापत्ति देने के निर्णय की अभिपुष्टि किया है। लफार्ज में, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या कार्योत्तर अनापत्ति परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि के प्रकृति के अभिकथित छिपाये जाने से दूषित हो गया था तथा क्या अनापत्ति देते समय एमओइएफ द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग नही किया गया था। कायोत्तर अनापत्ति की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मूल निवासी जनजातियाँ निर्णय करने की प्रक्रिया में शामिल थी तथा यह कि एमओईएफ ने परियोजना के पर्यावरण संबंधी समाघात के संबंध मे रिर्पोट के जरिए स्वंय को आश्वस्त करने में सम्यक तत्परता दृष्टिकोण अपनाया था।'' (बल दिया गया)

46. लफार्ज में निर्णय का उल्लेख करने के बाद इलेक्ट्रोफर्म (इण्डिया) लिमिटेड बनाम पटेल विपुल कुमार रामजी भाई (2016) 9 एससीसी 300 में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायमूर्तिगण के एक दूसरी पीठ ने इस विवाद्यक पर विचार किया था कि क्या जन सुनवाई करवाये बिना अपीलार्थी को विस्तार हेतु दिया गया पर्यावरण संबंधी अनापत्ति विधि में वैध था। पीठ के लिए बोलते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः-

''19 सार्वननिक परामर्श/जन सुनवाई से छूट देने में या न देने में निर्णय करने की प्रक्रिया सही सिद्धांतो पर आधारित नही था तथा इस प्रकार निर्णय अवैध तथा अनुचित था''

47. जन सुनवाई के बिना पर्यावरण संबंधी अनापत्ति देने के परिणाम का विनिश्चय करते समय न्यायालय ने अपीलार्थी के इकाई के बंद करने का निदेश नही दिया था तथा इसके स्थान पर इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

> "20 फिर भी, हम इस तथ्य की अनदेखी नही कर सकते है कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिनांक 27.01.2010 के अनुसरण में, परियोजना का विस्तार आरंभ किया गया है तथा जैसा 07.07.2014 को दाखिल अपने शपथपत्र में सीपीसीबी द्वारा रिपोर्ट किया गया था, सीपीसीबी द्वारा किये गये अधिकांश सिफारिशो का अनुपालन किया गया है। हमारे सुविचारित राय में, न्यायहित पूरा होगा यदि जन परामर्श/जन सुनवाई से छूट देने वाले निर्णय के उस भाग को अपास्त किया जाता है तथा जन परामर्श/ जन सुनवाई को कार्यान्वित करने के लिए मामले को संबंधित अधिकारियो को वापस भेजा जाता है। फिर भी, चूकि विस्तार आरंभ किया गया है तथा उद्योग काम कर रहा है, हम सम्पूर्ण संयन्त्र को बंद करने के आदेश को उचित नही समझते है जैसा उच्च न्यायालय द्वारा निदेशित किया गया था। यदि जन परामर्श/जन सुनवाई के परिणाम स्वरूप परियोजना के विस्तार के विरूद्द नकारात्मक आदेश होता है, अधिकारीगण उस स्तर तक गतिविधियो को कम करना सुनिश्चित करने तथा निदेश देने मे अच्छा करेगे जिसकी अनुमति पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिनांक 20.02.2008 द्वारा दी गई थी। यदि जन परामर्श/जन सुनवाई परियोजना के विस्तार के पक्ष में परिलक्षित होता है, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिनंाक 27.01.2010 लागू होगा तथा पूर्णतया प्रवर्तनशील होगा। दूसरे शब्दो में, समय के इस विस्तार पर जब विस्तार को पहले आंरभ किया गया है, इस मामले के विशेष तथ्यो में तथा न्याय के उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए, हम निर्णय पूर्व से निर्णय पश्पात तक जन परामर्श/जन सुनवाई के शर्ते के प्रकृति को बदलना उचित समझते है। जन परामर्श/जन सुनवाई आज के तीन माह के अन्दर संबंधित अधिकारियो द्वारा आयोजित की जायेगी।" (बल दिया गया)

48. नियमो द्वारा मार्गदर्शित जो उपरोक्त निर्णयो से प्रकट होता है, इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि यद्यपि तीनो उद्योग ईआईए अधिसूचना 1994 के बाद कई वर्षो तक पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना चलाये जा रहे थे, इनमें प्रत्येक ने वर्तमान क्षमता के विस्तार हेतु संशोधित पर्यावरण संबंधी अनापत्ति सहित तत्पश्चात पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त किया था। ये पर्यावरण संबंधी अनापत्तियो को 14 मई 2003 (अलेमविक फर्मा सेटिकल्स लिमिटेड के मामले में), 17 जुलाई 2003 (युनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड के मामले

मे) तथा 23 दिसम्बर 2002 (युनिक केमिकल्स लिमिटेड के मामले में) से कार्यचालन किया गया है। इसके अलावा सभी तीनो इकाईयो ने आधार भूत संरचना निवेश किया है तथा अपने औद्योगिक इकाईयो में काफी संख्या में कामगारो को नियोजित किया है।

49. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय को संतुलित दृष्टिकोण लेना चाहिए जो उद्योगो को कार्यचालन के बंद किये जाने का आदेश दिये बिना अतीत में पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना चलाये जाने हेतु उत्तरदायी ठहराता है। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के प्रतिसंहरण हेतु तथा इकाईयो को बंद किये जाने हेतु एनजीटी का निदेश अनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप नही है। फिर भी, न्यायालय सभी तीनो उद्योग इकाईयो द्वारा कारित पर्यावरण संबंधी अपकर्ष के संबंध में विस्मरणशील नही हो सकता है जिसे वैध पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के बिना चलाया जा रहा था। तीनो उद्योग ने पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के वैधानिक तरीके वाध्यकारी व्यवस्था से बचाव किया है। ये इस प्रकार के अननुपालन के कारण उठाये गये दायित्व से बच नही सकते है। शास्तियो को बाध्यकारी विधिक व्यवस्था के अवज्ञा हेतु अधिरोपित किया जाना चाहिए। उद्योगो द्वारा उल्लंघन को विधिक परिणामो द्वारा अकेला नही छोड़ा जा सकता है। धनराशि का प्रयोग पर्यावरण के प्रत्यास्थापन तथा पुर्न स्थापन के प्रयोजन हेतु किया जाना चाहिए। एनजीटी द्वारा जारी निदेशो के स्थान पर तथा बजाय मेंरी राय है कि तीनो उद्योगो को रू0 70 करोड़ प्रत्येक पर परिमाणित प्रतिकर जमा करने का निदेश देना न्यायहित में होगा।

धनराशि को जीपीसीबी के पास जमा किया जायेगा तथा इसका सम्यक उपयोग औद्योगिक क्षेत्र जिसमे उद्योग काम करता है मे पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पुर्नस्थापन तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु किया जाना चाहिए। यद्यपि हम बताये गये कारणो पर इस निष्कर्ष पर आए है कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के प्रतिसंहरण तथा उद्योगो के बंद किये जाने हेतु निदेश आवश्यक नही था, हमने एहतियाती सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण को संरक्षित करने के पहलू के रूप में प्रतिकर के भुगतान हेतु आदेश जारी किया है। इन आदेशो को संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन जारी किया जाता है। अलेमविक फर्मासेटिकल्स लिमिटेड, युनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड तथा युनिक केमिकल्स लिमिटेड इस निर्णय के प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने के तिथि से चार माह के अवधि के अन्दर जीपीसीबी के पास प्रतिकर की धनराशि जमा करेगे। यह जमा एनजीटी द्वारा निदेशित धनराशि के अतिरिक्त होगा। पूर्वोक्त धनराशि के जमा करने के अधीन तथा बताए गये कारणो पर, हम अपील को अनुज्ञात करते है तथा एनजीटी के आक्षेपित निर्णय दिनांक 8 जनवरी 2016 को अपास्त करते है जहाँ तक इसका संबंध पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के

प्रतिसंहरण तथा उद्योगो को बंद किये जाने के निदेश दिये जाने तथा पुनार्विलोकन में आदेश दिनांक 17 मई 2016 का संबंध है।''

87. अधिसूचना एसओ 804 (ई) दिनांक 14 मार्च 2017 अलेमविक फर्मा सेटिकल्स (ऊपर) में विवाद्यक नही था। यह न्यायालय 2002 परिपत्र के औचित्य तथा/या वैधता की जाँच कर रहा था जो ईआईए अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 1994 से असंगत था, जो कानूनी था। फिर भी कार्योत्तर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति नैत्यिक रीति से नही दी जानी चाहिए, बल्कि सभी सुसंगत पर्यावरण संबंधी कारको को ध्यान में रखते हुए आपवादिक परिस्थितियो मे। जहाँ कार्योत्तर अनुमोदन का प्रतिकूल परिणाम कार्योत्तर अनुमोदन के मंजूरी द्वारा उद्योग के संचालन के नियमितीकरण के परिणामो से अधिक महत्वपूर्ण होता है तथा उद्योग या संबंधित स्थापन अन्यथा अपेक्षित प्रदूषण नियमो के अनुरूप होता है, कार्योत्तर अनुमोदन लागू नियमो, विनियमो तथा/या अधिसूचनाओ के अनुरूप विधि के अनुसार दिया जाना चाहिए। कार्योत्तर अनुमोदन को केवल दण्ड कार्यवाही के रूप में रोका नही जाना चाहिए। विपथगामी उद्योग को ''प्रदूषक अदा करता है'' के सिद्धांत पर भारी शास्ति के अधिरोपण द्वारा दण्डित किया जा सकता है तथा पर्यावरण के पुर्नस्थापन का खर्च इससे वसूल किया जा सकता है।

88. मेरी राय है कि उच्च न्यायालय ने अंतिरम आदेशो जो दो वर्ष के लिए प्रवर्तन में था को निष्प्रभावी करने वाले आक्षेपित आदेश को पारित करने मे त्रुटि किया था। आक्षेपित आदेश अनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप नही है। यह ऐसा मामला नही है जहाँ इस्पात संयन्त्र को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति या जेएसपीसीबी के सहमति के बिना आरंभ किया गया था। अपीलार्थी ने मौजा दक्षिण पर्वतपुर में 1350 एकड़ भूमि पर एकीकृत इस्पात संयन्त्र (3 एमटीपीए) स्थापति करने के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के लिए आवेदन किया था तथा प्राप्त किया था, जैसा ऊपर स्पे्रंेक्षित है। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति 21 फरवरी 2008 को दिया गया था तथा चलाने केी सहमति जेएसपीसीबी द्वारा 5 मई2008 को दी गई थी।

89. अपीलार्थी ने उस स्थान से जिसके लिए ईसी तथा सीटीई दिया गया था 5.3 किमी0 दूर मौजा भागबंद में अपना इस्पात संयन्त्र स्थापित किया था। अपीलार्थी का यह तर्क है कि स्थानान्तरण छोटा है तथा ईआईए/ईएमपी में कोई बदलाव नही करता है जिसके आधार पर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दिया गया है। एमओईएफ के परिपत्र दिनांक 22 जनवरी 2010 के अनुसार स्थान परिवर्तन के लिए नये सिरे से जन सुनवाई की आवश्यकता नही थी।

90. उपरोक्तनुसार, अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 02.12.2011 द्वारा, एमओईएफ ने पुष्ट किया था कि अपीलार्थी का इस्पात संयन्त्र पर्यावरण समाघात क्षेत्र में था तथा प्रभावित लोगो के पास जन सुनवाई में अपने विचारो को व्यक्त करने का अवसर था। प्रश्न यह है कि क्या याची द्वारा स्थान परिवर्तन हेतु नया पूर्व अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक था या उक्त अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी 2010 के अधीन छूट द्वारा आच्छादित था।

91. अपीलार्थी ने निरन्तर प्राख्यान किया है कि एकीकृत इस्पात संयन्त्र के परिसर का कोई भाग किसी वन में नही है। इस प्रकार भारतीय वन अधिनियम 1927 या वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया गया है। एमओईएफ ने यह भी पुष्ट किया था कि प्रश्नगत इस्पात संयन्त्र पर्यावरण समाघात क्षेत्र में भलीभाँति है तथा प्रभावित लोगो के पास जन सुनवाई का अवसर था। बहरहाल क्या स्थान के स्थान परिवर्तन से वास्तव में पर्यावरण संबंधी समाघात कोण से कोई अन्तर किया गया है समुचित प्रधिकारी/फोरम द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।

92. बहरहाँल, अपीलार्थी ने अपने अधिकारो तथा विवादो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्योत्तर वन अनापत्ति अनुमोदन हेतु सम्यक आवेदन किया है कि इसका इस्पात संयन्त्र वन भूमि पर नही है तथा संशोधित पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के लिए आवेदन किया था। 17 दिसम्बर 2019 को, एमओइएफ एवं सीसी ने वन परामर्शदायी समिति के सिफारिशो पर वन अनापत्ति प्रस्ताव के संबंध में कार्योत्तर सिद्धांततः अनुमोदन दिया था संशोधित अनापत्ति हेतु आवेदन विचाराधीन है। ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2021 द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के कार्यचालन को रोकने वाले मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत प्रकट रूप से अंतिम निर्णय नही लिया गया है।

93. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश भ्रामक प्रतीत होता है। फिर भी, यह न्यायालय अंतरिम आदेश से अपील नही सुन रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रोक मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के परे क्षेत्रो में परियोजना के संबंध मे मानक प्रचालन प्रक्रिया के प्रचालन का कोई प्रयोग नही हो सकता था। इसके अलावा, अंतिम निर्णय 7 जुलाई 2021 के पहले विद्यमान आदेशो/नियमो के अनुसार अंतिम निर्णय किया जा सकता था।

94. आक्षेपित आदेश पारित करने में उच्च न्यायालय ने एकीकृत इस्पात संयन्त्र के बंद किये जाने के परिणामो की अनदेखी किया था जहाँ 300 नियमित तथा 700 संविदाजात कर्मचारियो का कार्यवल था। उच्च न्यायालय यह मूल्यांकन करने में भी असफल था कि

अलेमविक फर्मासेटिकल्स (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय तथ्यो पर भिन्न था। इसके अलावा, औद्योगिक स्थापन के प्रचालन को अनुमति देने वाले अंतरिम आदेशो का जारी रहना या औद्योगिक स्थापन को पर्यावरण संबंधी अनापत्ति देना भी सिद्धांत "प्रदूषक अदा करता है" पर शास्ति के अधिरोपण सहित उल्लंघनो के लिए इस स्थापन के विरूद्ध कार्यवाही के मार्ग मे गतिरोध नही हो सकता है। आईबीसी के धारा 32 की व्याप्ति तथा प्रभाव भिन्न विवाद्यक है। इस न्यायालय को इस प्रश्न की जाँच करना आवश्यक नही है कि क्या अपीलार्थी के विरूद्द दण्ड कार्यवाही आरंभ की जा सकती है या इस प्रक्रम पर अपीलार्थी से प्रतिकर वसूल किया जा सकता है। विवाद्यक का विनिश्चय समुचित प्राधिकारी द्वारा समुचित प्रक्रम पर किया जा सकता है जब यह अपीलार्थी को दण्ड देने हेतु या अपीलार्थी से प्रतिकर के वसूली हेतु कार्यवाही का न्यायनिर्णयन करता है। संशोधित ईसी/सीटीओ इत्यादि केे लिए अपीलार्थी के आवेदन पर विचार कड़ाई से पर्यावरण संबंधी मानदण्डो के अनुसार किया जायेगा।

95. अपीलो को अनुज्ञात किया जाता है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी सं0 1 तिथि से तीन माह के अन्दर विधि के अनुसार संशोधित ईसी हेतु अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय लेगा। इस प्रकार के निर्णय केे लंबित रहने के दौरान, इस्पात संयन्त्र के प्रचालन में ईसी, एफसी, सीटीई या सीटीओ के आधार पर हस्तक्षेप नही किया जायेगा।

<u>यह अनुवाद शिवाकान्त तिवारी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>